

संख्या: 353/K-4-15/1(188)/2015

प्रेषक,

फ़ौजदारी,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड हासन।

संवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन भूमि हस्तांतरण, डब्ल्यू नगर,  
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अधिनियम-4

विषय: जलपद-खलौड़ा के अंतर्गत जी०जी०आई०सी विषयाधीन एक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.54, हे० वन भूमि का गैर वाणिज्यी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

देहरादून दिनांक: 27 मई, 2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3210/FP/UK/ROAD/10492/2015 दिनांक 08 मई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जलपद-खलौड़ा के अंतर्गत जी०जी०आई०सी विषयाधीन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.54, हे० वन भूमि का गैर वाणिज्यी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग के पत्र संख्या एफ०एन०-11-09/98-एफ० सी० दिनांक 02 नवम्बर, 2014 में निर्दिष्ट प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोनिहित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं- 13 जून 2014

1. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या (100) में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०पी०सी०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि समाप्त स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में वृद्धि होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
4. भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निविदों प्रतिपूर्ति यौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तबर्थ निकष के लेखा सं०-एन०पी०-25230 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 वृत्त सी०जी०आई०सी० काम्पलेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जाएगी।
5. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०पी०सी०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निविदों प्रतिपूर्ति यौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तबर्थ निकष कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 वृत्त सी०जी०आई०सी० काम्पलेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
6. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जलपद कार्यालय की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कम्प्लायेंस से अनुपालन किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पर्याप्त प्रकरण में विशिष्ट स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय

(फ़ौजदारी)  
अपर सचिव।

संख्या 353 (1)/X-4-15/1(188)/2015, व्यवस्थापिका।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केंद्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफओआरओ आईओ, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड सावन।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग।
5. अधिराष्ट्रीय अभिवृत्ति, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
6. गार्ज फाईल।

आज्ञा से,  
(सियाम सिंह)  
उप सचिव।

